

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2011

जयपुर, दिनांक : 30.12.2011

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदस्थापित स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान
1	DR SHYAM S KACHHAWA	JS MED	D.HOSP	BIKANER	BIKANER	DH JAISALMER
2	DR VISHNU KUMAR GANDHI	JS PATH	D.HOSP	BIKANER	BIKANER	DH HANUMANGARH
3	DR PALLAVI VERMA	JS SUR	D.HOSP	BIKANER	BIKANER	DH SRIGANGA NAGAR
4	DR RAJENDRA KUMAR GUPTA	JS MED	CD-5	BIKANER	BIKANER	DH DUNGARPUR
5	DR SANJEEV SEHGAL	JS OPTH	MSU ZONE	BIKANER	BIKANER	DH JAISALMER
6	DR REKHA MOHTA	JS OPTH	MSU ZONE	BIKANER	BIKANER	DH KARALI
7	DR KUSUM SINGH	JS DENT	MSU ZONE	BIKANER	BIKANER	DH CHURU
8	DR SHIVANI RAWAT	RMO	CHC	DESHNOKH	BIKANER	CD-2, BIKANER
9	DR DINESH BINAWARA	MO	CHC	DESHNOKH	BIKANER	DH CHURU
10	DR JAI NARAIN	UTB	CHC	DUNGARGARH	BIKANER	CHC DUNGARGARH, BIKANER
11	DR MUKESH KUMAR JANAGAL	MO	CHC	GAJNER	BIKANER	GH RATANGARH, CHURU
12	DR SUDHIR KUMAR SHARMA	RMO	CHC	KHAJUWALA	BIKANER	CHC NOKHA, BIKANER
13	DR MANI RAM	MO	CHC	KOLAYAT	BIKANER	CHC KOLAYAT, BIKANER
14	DR DINESH SHARMA	JS OPTH	CHC	LUNKARANSAR	BIKANER	DH CHURU
15	DR PRAKASH CHAND TANVAR	JS PAED	CHC	NOKHA	BIKANER	DH DUNGARPUR
16	DR RAM CHANDRA GODARA	JS MED	CHC	NOKHA	BIKANER	DH NAGOUR
17	DR NEERAJ ARORA	RMO	CHC	PANCHU	BIKANER	DH CHURU

विषय:- कारण बताओं नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.12.2011 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कर आपको निर्देश प्रदान किए गए थे कि आप अपने आप को कार्यमुक्त समझते हुए अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 28.12.2011 तक कार्यग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशक, जन स्वास्थ्य एवं इस विभाग को प्रेषित करावें, किन्तु आपने दिनांक 29.12.2011 तक अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है।


अतः निर्देशानुसार आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर आदेशित किया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 02.01.2012 तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को भेजकर लेख है कि संबंधित चिकित्सकों को कारण बताओं नोटिस आज ही तामील कराकर इस विभाग को अवगत करावें।
5. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेव साईड एवं सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।


शासन उप सचिव